

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही विवरण

नम्बर
अहक
हुकम
में ज

की जमाबन्दी में प्राणी का नाम जामा नूरनगर के जमीन दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों आदि कर्मियों द्वारा प्राप्त हुआ है व उसकी की गई जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सशुभ आधिकारी द्वारा जाँच के बाद अपने न्यायिक विवेक व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हस्तान्तरित किया जाता है जिस कारण प्राणी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 C.R. Act. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। प्राणी का प्रदुर्घटना पत्र धारा 136 C.R. Act. के तहत पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। प्राणी पाए गये अवशेष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वयं की अत्र प्राणी का प्रदुर्घटना पत्र संद्वारा रवीय नहीं होने से अस्वीकार कर जापिज किया जाता है जिसका केंद्रल दस्तावेज होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपसंग्रह अधिकारी
राजगढ़ (बुरु)